IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 14 | सांचौर, सोमवार, 15 जुलाई 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

निलंबित व्यवस्थापक को दिया जाए जीवन निर्वाह भत्ता

जालोर । जिले की धमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति में पूर्व समय में निलंबित किए गए सहायक व्यवस्थापक जयकिशन विश्नोई को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता समिति स्तर से देने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबंध निदेशक ने धमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष को एक पत्र लिखा हैं, जिसमें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देने की कार्यवाही कर उसकी सूचना प्रधान कार्यालय का भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही, निलंबित व्यवस्थापक के मुख्यावास को सीसीबी सांचौर शाखा से बदलकर धमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति कर दिया है।

68 सहकारी समितियों

ऑडिट के लिए रिकॉर्ड पूर्ण करवाने के लिए लिखा पत्र

जालोर । जिले में पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत **NET DTC** से शेष रही 68 ग्राम सेवा सहकारी समिति की ऑडिट के लिए आवश्यक रिकॉर्ड पूर्ण करवाने के लिए विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर ने प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर को पत्र लिखा हैं, जिसमें बताया गया कि संयुक्त मुख्य अंकेक्षण (जनरल) सहकारी समितियां जयपुर द्वारा ऑडिट से शेष 68 सहकारी समितियां की ऑडिट प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि व्यवस्थापकों से संपर्क करने पर पाया गया कि समिति के अंतिम लेखे, संबंधित विवरणियां एवं बैंक मिलान पत्र एवं आवश्यक रिकार्ड अब तक तैयार नहीं हो पाए हैं, जिससे ऑडिट के कार्य में विलंब हो रहा हैं।

निलंबित व्यवस्थापक को नहीं दिया जा रहा जीवन निर्वाह भत्ता

जालोर । जिले की केशवना ग्राम सेवा सहकारी समिति के निलंबित व्यवस्थापक आशाराम मेघवाल को बैंक एवं समिति स्तर से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा हैं, आशाराम का कहना हैं कि उनके द्वारा कई बार केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को एवं केशवना ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को अवगत करवाने के बाजवुद जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा हैं, जबकि इस संबंध में आशाराम द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर को भी 16 जुलाई 2021 को पत्र लिखा गया था, लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।
-संपादक

अनुदान वृद्धि के साथ आवास योजना में धन आवंटन बढ़ने की संभावना; प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू करने की भी तैयारी

गांव और ग्रामीणों के विकास के लिए बड़ा दिल दिखाएगी सरकार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली ; विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी के साथ घुमाना चाहती है। इसके लिए गांव और ग्रामीणों के विकास से जुड़ी योजनाओं पर नई सरकार का जोर नए सिरे से दिखाई दे सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संकेत मिल रहा है कि राजग सरकार तीसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में इससे संबंधित योजनाओं के लिए बड़ा दिल दिखा सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विस्तार के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनुदान की राशि के साथ बजट का आवंटन बढ़ सकता है। मोदी सरकार ने पिछले दो कार्यकाल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ इस दिशा में जो कदम बढ़ाए, वही दिशा मोदी-2.0 के अंतिम अंतरिम बजट 2024-25 में भी दिखी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर केंद्र का जोर था। अंतरिम बजट में सरकार ने मनरेगा के बजट में 43 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 86,000 करोड़ कर दिया था। वहीं, 2023-24 के पूर्ण बजट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 54,487 करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ का बजट रखा था। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस बार सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को जो अनुदान राशि एक लाख 20 हजार रुपये दी जा रही है, उसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल तीन करोड़ नए घर का लक्ष्य घोषित कर चुके हैं। इनमें से लगभग दो करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों में बनने हैं। ऐसे में लगभग तय है कि इस मद में सरकार ठीक-ठाक आवंटन बढ़ाने जा रही है। इसी तरह मांग आधारित योजना मनरेगा के लिए अंतरिम बजट की तरह ही फिर से वृद्धि की जा सकती है। वहीं, गांवों के लिए विकास की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है।

43 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अंतरिम बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ आवंटित किए थे

54 करोड़ रुपये ज्यादा पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए तो ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ का बजट था प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना

प्रतीकात्मक ।

मोदी सरकार ने योजना के तीसरे चरण में यह व्यवस्था कर दी थी कि पुरानी ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के साथ ही इस योजना के तहत कृषि मंडियों, हायर सेकंडरी स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों को भी चिह्नित कर दुरुस्त किया जाएगा। इसके पीछे सोच है कि बेहतर सड़क संपर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का बड़ा आधार है। सूत्रों के अनुसार, इस बार बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की घोषणा के साथ इस मद में आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है।

जालोर एवं सांचौर में भी आदेश जारी करवाने की उठी मांग

इंतकाल, रजिस्ट्री दर्ज करने से पूर्व बकाया नहीं का सहकारी समितियों से लिया जाए प्रमाण पत्र

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में कृषि भूमि धारक किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा सीजनली डेढ़ लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इस ऋण के लिए सहकारी समितियों द्वारा किसानों की कृषि भूमि का रहन तक नहीं किया जाता है। जबकि कुछ ऋणी सदस्यों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का बकाया ऋण चुकाए बिना जमीन का बेचान कर दिया जाता हैं, एवं ऋणी किसान की मृत्यू होने पर इंतकाल एवं रजिस्ट्री दर्ज करवा दी जाती हैं, जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋण की वसूली नहीं होने से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दिन-ब-दिन अवधिपार ऋण की बढ़ोतरी होने के चलते सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने जिला कलेक्टर नागौर एवं कोटपूतली-बहरोड़ में कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं इंतकाल दर्ज किए जाने से पूर्व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से नो ड्यूज लेने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई करने के संबंध में जारी आदेश तर्ज पर सांचौर एवं जालोर जिले में भी आदेश जारी करवाने की मांग उठाई है। गौरतलब हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 1 लाख 30 हजार ऋणी सदस्यों को रबी और खरीफ सीजन में 800 करोड़ से ज्यादा का सलाना ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाता हैं,

कुछ ऋणी सदस्यों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का बकाया ऋण चुकाए बिना जमीन का बेचान कर दिया जाता हैं,

आहोर विधायक ने विधानसभा सत्र में नियम 131 के अंतर्गत लगाया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आहोर केवीएसएस के 58 लाख रुपए का भुगतान शेष

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले की आहोर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के वर्ष 2017 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक 58 लाख 30 हजार 17 रूपये का भुगतान शेष हैं, आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने विधानसभा सत्र में नियम 131 के अंतर्गत आहोर केवीएसएस की बकाया राशि को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग द्वारा कहा गया कि आहोर केवीएसएस के वर्ष 2017 से लेकर 31 मार्च 2024 तक समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद मद में हैण्डलिंग एवं परिवहन के 66 लाख 56 हजार 650 रूपये का भुगतान शेष था, जिसमें से वर्ष 2024-25 में आहोर केवीएसएस को 8 लाख 26 हजार 633 रूपये का भुगतान करने के उपरान्त 3 जुलाई 2024 तक 55 लाख 30 हजार 17 रुपए का भुगतान बकाया है, वही, रबी 2023 में समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत सरसों एवं चना खरीद पेटे नेफेड से प्राप्त राशि के आधार पर कमीशन मद में 50 प्रतिशत राशि 1.85 लाख रुपए आहोर केवीएसएस को भुगतान किया जाना भी प्रक्रियाधीन है।

सहकारिता विभाग ने बताया कि केन्द्रीय नोडल एजेन्सी नेफेड द्वारा समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद में हैण्डलिंग एवं परिवहन तथा कमीशन मद में राजफैड को भुगतान किया जाता है तथा नेफैड से भुगतान प्राप्त होने में समय लगने की स्थिति में समितियों को भुगतान करने में विलम्ब हो जाता है, वही, राजफैड को नेफेड से पुनर्भरण प्राप्त होने पर आहोर केवीएसएस को भुगतान कर दिया जाएगा ।

बजट के अभाव में नहीं किया भुगतान

सहकारिता विभाग की ओर से विधायक को लिखित में दिए गए प्रतिउत्तर के मुताबिक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जालौर के रिकार्ड के अनुसार आहोर केवीएसएस के 31 मार्च 2023 से पूर्व के 9 लाख 3 हजार 23 रुपए के बिल बकाया है, वही, वर्ष 2023-24 के 4 लाख 69 हजार 476 रुपए बकाया है, जिनका कार्यालय में बिल देरी से प्राप्त होने, बजट आवंटन पत्र में अन्य योजना के दावों का भुगतान नहीं किये जाने के निर्देश होने, कार्यालय में सूचना सहायक एवं जिला रसद अधिकारी का पद रिक्त होने एवं बजट के अभाव में भुगतान नहीं किया गया, विभाग ने कहा कि बजट की उपलब्धता अनुसार अतिशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा ।

अनुकपात्मक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की टंकण परीक्षा 25 जुलाई को

जालोर । जिला जालोर में कार्यरत विभिन्न विभागों के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित अनुकपात्मक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों (नवीन नियुक्त जो पात्र हो) की टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) 25 जुलाई, 2024 को आयोजित की जायेगी जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर व परीक्षा आयोजन समिति के अध्यक्ष शिवचरण मीना ने बताया कि ऐसे समस्त अयर्थी आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों व 500 रूपये की डी.डी. के साथ (च्चजिला कलक्टर जालोर परीक्षाज्ज के नाम से देय) 16 जुलाई, 2024 को सायं 6 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस समयावधि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहकारी बैंकों में एमडी लगाने के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सहकारी सेवा का एकाधिकार अब होगा खत्म

जयपुर. राज्य सहकारी बैंक और जिला स्तर के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति में अब राजनीतिक दखल नहीं होगी। एमडी की नियुक्ति के लिए आरबीआई की इजाजत लेना जरूरी किया गया है। इसको लेकर नाबार्ड ने सभी राज्यों को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत तय प्रक्रिया अपनाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश राजस्थान सरकार को भी मिला है। अब बैंकों में एमडी बनने के मामले में राज्य सहकारी सेवा के अधिकारियों का एकाधिकार टूटेगा। अब तक बैंकिंग अनुभव को दरकिनार कर सहकारी सेवा के अधिकारियों को इस पद पर लगाया जाता रहा है। नाबार्ड ने आदेश में कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधान राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू हो गए हैं। राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को एमडी/सीईओ की नियुक्ति तथा नियुक्ति की समाप्ति के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। नाबार्ड ने पात्रता समंधी नियम भी बताए हैं। नई प्रक्रिया के तहत पात्र आवेदकों की जानकारी आरबीआई को भेजी जाएगी। वहां से अन्तिम नाम तय होगा।

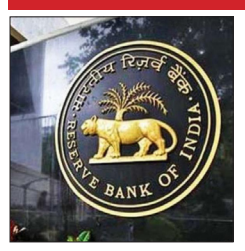

नाबार्ड ने राज्य सरकार को दिए नए आदेश। अब तक राजनीतिक पहुंच वाले लगते थे एमडी। अब एमडी लगने के साथ बैंकिंग अनुभव होगा जरूरी। बैंकिंग अनुभव के मामले में सहकारी सेवा के अधिकारी हैं पीछे। अब ऐसे अधिकारियों को नहीं मिलेगी बैंकों में पोस्टिंग

लंबित प्रकरणों को पूरा कर बीमित किसानों को मुआवजे का लाभ जल्दी दिया जाये - शासन सचिव

फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 का 690 करोड़ रूपये का क्लेम वितरित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में

बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने कम्पनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लम्बित प्रकरणों को तुरन्त प्रभाव से पूरा कर बीमित किसानों को मुआवजे का लाभ जल्दी से जल्दी दिया जाये। उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 का अब तक 690.44 करोड़ रूपये का क्लेम कृषकों को वितरित किया जा चुका है, शेष मुआवजे की राशि जल्द ही किसानों को दे दी जायेगी। रबी 2023-24 के लिए बीमा कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है। रबी 2023-24 के फसल कटाई प्रयोगो में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) श्री मुकेश कुमार माथुर, उप निदेशक कृषि (फसल बीमा) डॉ0 राम दयाल यादव, उप निदेशक कृषि (फसल बीमा), श्रीमती रेखा कुमावत, विभागीय अधिकारी तथा राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनियां; क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी, रिलाईन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव ने जसवंतपुरा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों का किया अवलोकन

जालोर। जिले के प्रभारी सचिव विश्व मोहन शर्मा ने जसवंतपुरा क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। प्रभारी सचिव ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत जसवन्तपुरा पंचायत समिति की बूगांव ग्राम पंचायत में चल रहे चारागाह विकास कार्य व फार्म पौण्ड कार्य, एमएमएस योजना के तहत कृषक के खेत में फार्म पौण्ड निर्माण, वन विभाग के चारागाह, एनीकट व पौधारोपण कार्य का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा के तहत जसवंतपुरा क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय खोलने के लिए भूमि का अवलोकन भी किया।

लाखों का चूना लगाया सहकारी समिति को, अब जांच की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

पाली । *जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति अंतर्गत संचालित पोमावा ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापक सहित अन्य कर्मियों की नियमावली को ताक पर रखकर की गई नियुक्ति की जांच करवाने की मांग सुत्रो ने दोहराई है, सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने बताया कि पोमावा ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत कर्मियों ने पिछले पांच वर्षो में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में 20 लाख से ज्यादा की राशि पी.एफ. अंशदान के तौर पर जमा करवा दी हैं, जबकि पी.एफ अंशदान के तौर पर केवल 12 प्रतिशत राशि वेतन से काटी जाती हैं, इस प्रकार पोमावा सहकारी समिति में कर्मियों ने पिछले पांच वर्षों में मनमाफिक वेतन निर्धारण कर सहकारी समिति कोष को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सुत्रो ने कहा कि पूर्व समय में मोटाराम व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत थे, उनकी सेवानिवृत्ती के पश्चात सहकारी समिति में अपात्र, अयोग्य एवं अप्रशिक्षित व्यक्ति को सहकारी समिति का चार्ज सहायक अधिशासी अधिकारी की सह पर दे दिया गया, जबकि इस मामले की पूरी जानकारी होने के बाजवुद गृह जिले की सीसीबी में प्रबंध निदेशक पद पर पिछले तीन सालों से जमे सहकारिता सेवा के अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, और-तो-और बेखौफ तरीके से सहकारी समिति का चार्ज दे दिया गया, जिससे सहकारी समिति को पिछले पांच वर्षों में लाखों का चूना लग गया है।*

सक्षम स्वीकृति के बिना आहरण हो रहा वेतन

जिले की रोहिट शाखा अंतर्गत संचालित लालकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी कार्यरत व्यवस्थापक द्वारा मनमुताबिक एवं बीना सक्षम स्वीकृति वेतन का निर्धारण कर मनमानी राशि भविष्य निधी क्षेत्रिय कार्यालय में जमा करवाई जा रही हैं, जिससे सहकारी समिति को लाखों का चूना लग रहा हैं, पी.एफ पोर्टल से प्राप्त आंकड़ो के मुताबिक, 13 जून को 10809 रुपए, जबकि 15 मई को 11355 रुपए भविष्य अंशदान के रुप में जमा करवाई गई हैं, इस पी.एफ अंशदान के हिसाब से समिति व्यवस्थापक द्वारा 40 से 50 हजार रुपए मासिक वेतन के नाम पर राशि समिति से आहरण की जा रही हैं, जबकि लालकी में पूर्व व्यवस्थापक बाबूलाल की गत सालों में ही सेवानिवृती हुई हैं, और हाल ही के वर्षो में अन्नराज को सहकारी समिति में व्यवस्थापक पद का चार्ज दिया गया हैं,

बनवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति में कस्टम हायरिंग सेंटर और लालगढ़ में देखा एफपीओ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर,। गंगानगर जिले के प्रभारी सचिव और कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गलारिया ने शनिवार को साधुवाली में प्रस्तावित गाजर मंडी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने बनवाली में कस्टम हायरिंग सेंटर और लालगढ़ स्थित एफपीओ पहुंचकर कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

साधुवाली में गाजर मंडी का अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस पर जिला कलक्टर श्री लोकबंधु ने जल संसाधन विभाग, तहसीलदार और कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम को जगह चिन्हित कर दो दिन में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप जल्द से जल्द गाजर मंडी को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।

इसके पश्चात प्रभारी सचिव द्वारा बनवाली में ग्राम सेवा सरकारी समिति द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर का अवलोकन किया। यहां उपलब्ध कृषि उपकरणों और यंत्रों की जानकारी लेने के पश्चात उन्होंने संचालक से पूछा कि किसानों को किस तरह से कस्टम सेंटर का लाभ दिया जा रहा है। प्रभारी सचिव द्वारा किसानों से भी मुलाकात कर विभागीय योजनाओं का फीडबैक लिया गया।

उन्होंने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों से संपर्क करते हुए उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। लालगढ़ में एफपीओ (फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन) के तहत तैयार किये गए उत्पाद नंदिनी कैटल फीड की जानकारी लेने के पश्चात प्रभारी सचिव 2 एमएल स्थित नर्सरी पहुंचे। यहां उद्यान विभाग द्वारा अनुदानित नर्सरी का अवलोकन करते हुए उन्होंने तैयार किए जाने वाले पौधों की जानकारी ली। उद्यान विभाग की उपनिदेशक श्रीमती प्रीति गर्ग ने बताया कि विभागीय योजना के तहत संचालित इस नर्सरी में किन्नू, माल्टा, मौसमी, जाफा और गुलाब के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान नगर विकास न्यास सचिव श्री कैलाशचंद्र शर्मा, सादुलशहर एसडीएम श्रीमती शिवा चौधरी, सीसीबी के प्रबंध निदेशक श्री संजय गर्ग, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सतीश शर्मा, सहायक निदेशक श्री सुशील शर्मा, जल संसाधन विभाग के एसई श्री धीरज चावला, श्री शिव सिंह भाटी, श्री सूबे सिंह रावत, श्री केशव कालीराना, डॉ. राजेन्द्र नैण सहित अन्य मौजूद रहे।

हरियाली बढ़ाने में सामाजिक संकल्प की भागीदारी जरूरी

वन नीति को कागजों से बाहर लाकर और धरातल पर लागू करने से ही हम धरा को हरा-भरा कर पाएंगे

मानसून की सक्रि यता के साथ ही प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को गति देने का वक्त आ गया है। यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि राज्य के 10 प्रतिशत भू-भाग पर भी वन नहीं हैं, जबकि आदर्श रूप में 33 फीसदी भूमि वन आच्छादित होने चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि प्रदेश में वन क्षेत्र तो पिछले तीन साल में 19 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है, लेकिन शहरों में हरियाली घट गई है। शहरों में घनी हरियाली का प्रतिशत 15 से घटकर 8 प्रतिशत रह गया है। इससे करीब 2 करोड़ आबादी प्रभावित हो रही है। एक समस्या यह भी है कि विकास की आड़ में हरियाली लगातार चौपट होती जा रही है। कहीं सड़कें बनाने तो कहीं उद्योग-धंधे लगाने के नाम पर हर साल हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। सड़क निर्माण में तो काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए पौधरोपण का प्रावधान होता भी है लेकिन इस दिशा में ज्यादा काम हो नहीं पाता। जामनगर-अमृतसर भारतमाला परियोजना के ग्रीन कॉरिडोर से जरूर सीख ली जा सकती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में ड्रिप इरिगेशन से भी कम पानी में मरु प्रदेश को हरा-भरा बनाने की योजना है। परियोजना के तहत प्रदेश में 4 लाख 63 हजार 336 पौधे लगेंगे। पिछले साल 5 जून को राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई थी। इसमें आगामी बीस वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वन नीति कई बार जारी हो गई, लेकिन इसे कागजों से बाहर धरातल पर लाकर लागू करने से ही धरा को हरा-भरा कर पाएंगे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत करते हुए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को देश का सबसे हरा-भरा संसदीय क्षेत्र बनाने के संकल्प की पहल की है। देश में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान को जनआंदोलन बनाना होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी अहम है। सांसद से लेकर पंच-सरपंच तक संकल्पित होकर अपने क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के काम में आगे आएं तो गांव-शहर हरियाली से आच्छादित नजर आएंगे। इस लिहाज से पत्रिका का 'हरयाळो राजस्थान' अभियान भी ऐसे ही प्रयासों को आगे बढ़ाने वाला है। सरकारी स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयास भी तब ही परवान चढ़ सकेंगे जब उसमें सामाजिक संकल्प की भागीदारी नजर आएगी।

सहकारिता : नवाचार से मिलेगी मजबूती

-अरविंद कुमार मिश्रा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

"देश की आर्थिकी में सहकारी क्षेत्र का व्यापक योगदान है। इस क्षेत्र को पूंजी एवं तकनीक उपलब्ध कराने के साथ ही नवाचार एवं नियमन को मजबूती प्रदान कर इस योगदान को बढ़ाया जा सकता है"

देश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास लगभग 125 वर्ष का हो गया है। आज के दिन यानी छह जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अपनी इस यात्रा के दौरान सहकारी समितियों ने सहकार से समृद्धि के अनेक सफल उपक्रम खड़े किए हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद द के के आधार पर विश्व की तीन सौ सहकारी समितियों में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) पहले और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) दूसरे पायदान पर है। दूध, चीनी, उर्वरक, बीज के उत्पादन और वितरण से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लगभग आठ लाख सहकारी समितियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। मोदी सरकार ने पिछले दस साल में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधारकिए हैं। छह जुलाई 2021 सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ इन प्रयासों को न केवल बल मिला, बल्कि सहकारी समितियां उन क्षेत्रों में कदम रख रही हैं, जो नवाचार पर आधारित हैं। एथेनाल उत्पादन से लेकर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार जैसे क्षेत्र में सहकारिता की मजबूत उपस्थिति ने इसकी प्रासंगिकता सिद्ध की है। देश में सहकारिता माडल पर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित की जा रही है। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है। इससे सहकारी समितियों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। एनसीईएल द्वारा निर्यात प्रमाणन की सुविधाएं मिलने से कुटीर उद्योग से तैयार होने वाली वस्तुएं वैश्विक गुणवत्ता हासिल कर सकेंगी। आज देश में 25 हजार से अधिक पैक्स सामान्य सेवा केंद्र के रूप में 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सहकारिता की अनेक सफलताओं के बावजूद इस क्षेत्र लिए यह समय आत्मचिंतन का है।

संबंधित नीति की प्रतीक्षा: सहकारिता क्षेत्र को लंबे समय से एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति का इंतजार है। वर्ष 2002 से चली आ रही वर्तमान नीति समय के साथ इस क्षेत्र में आई चुनौतियों के समाधान में अप्रासंगिक हो चुकी है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर सुझाव व परामर्श का दौर शुरू हो गया था। अगले कुछ ही महीनों में इसे लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति में इस क्षेत्र से जुड़े चा चार बड़े मुद्दों के समाधान की दरकार है। पहला, सहकारिताओं को अपना उद्यम बढ़ाने के लिए पूंजी का संकट एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए शहरी सहकारी तकनीक व डिजिटल अनुप्रयोग बढ़ाने होंगे। तकनीक आधारित अवसंरचना में पिछड़ने की वजह से सहकारिताएं युवा मानव संसाधन को भी आकर्षित नहीं कर पातीं। मोदी सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की पहल का असर सहकारिताओं में आई पारदर्शिता के रूप में देखा जा सकता है। राज्य यदि सहकारिताओं के डिजिटलाइजेशन और तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रत्यक्ष लाभ उनकी अर्थव्यवस्था को होगा। तीसरा, सहकारिताओं को बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए शोध और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। अभी इस क्षेत्र में नवोन्मेष की बहुत अधिक कमी है। केंद्र सरकार ने सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया है। यदि अलग अलग राज्य सरकारें सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के साथ मिलकर शोध, प्रशिक्षण को बढ़ावा दें तो इस क्षेत्र की श्रम शक्ति की दक्षता बढ़ेगी। उदारीकरण के दौर सहकारिताओं को टिकाऊ बनाना है तो उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाना होगा। चौथा, सहकारिता को नियमन में एकरूपता लानी होगी। इससे सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम होगा। राज्य का विषय होने की वजह से विभिन्न दलों के अपने हित और लोग सहकारिताओं पर थोप दिए जाते हैं। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए बनाई गई आदर्श उपविधियां (माडल बाइलाज) सराहनीय पहल है। इन उपविधियों का यदि सही तरीके से पालन सुनिश्चित कर लिया जाता है तो भारतीय सहकारिताओं की पेशेवर दक्षता बढ़ेगी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से मिले तथ्य सहकारिता नीति के साथ इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी नियमन के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। राष्ट्रीय सहकारिता नीति में सहकारिताओं को श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को अपनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सहकारिताओं को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें निवेश अनुकूल तथा नवाचार और नियमन के मोर्चे पर भी मजबूती देनी होगी।

सामयिक ; गांवों से शहरों की ओर पलायन से बढ़ रही समस्या

बढ़ते शहरीकरण के बड़े नुकसान, अब देना ही होगा गांवों पर ध्यान

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56 फीसदी आबादी शहरों में रहने लगी है। गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। शहरीकरण के लाभ हैं, तो नुकसान भी कम नहीं। जब भी शहरों में कोई नई कॉलोनी विकसित होती है तो हमें यह स्वीकारना ही होगा कि किसी न किसी गांव की कुर्बानी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांवों की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। यह भी सच है कि ये सुविधाएं सभी को नसीब भी नहीं होतीं। रोजगार के लिए गांवों से शहरों में आने वाले बहुत सारे लोगों को कच्ची बस्तियों, चालों या एक से दो कमरें की मकानों में किराए पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शहरों में रहना दूभर ही होता जा रहा है। दरअसल, शहरीकरण के समय अन्य पहलुओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। प्राकृतिक जल स्त्रोत समाप्त कर दिए जाते हैं तो पानी के संग्रहण के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आबादी के घनत्व के कारण वातावरण प्रभावित होता है। जिस तरह से पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, उसके लिए शहरीकरण भी जिम्मेदार है। कंक्रीट के जंगलों के कारण तापमान नित नया रेकार्ड बनाता जा रहा है, वहीं पेयजल की समस्या, प्रदूषित वायु, सड़कों पर निर्बाध आवागमन की समस्या, अत्यधिक आवागमन साधनों के कारण प्रतिदिन की जाम की समस्या, नित नई बीमारियों का प्रकोप और अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या विकट हो रही है। बिजली की अत्यधिक मांग के कारण आए दिन विद्युत संकट और मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों पर बढ़ता दबाव भी देखा जा सकता है। शहरों में शुद्ध हवा और पानी तो अतीत और कल्पना की बात हो चुकी है। शहरीकरण के कारण हर जरूरत का बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, हर जगह व्यापार हावी हो गया है। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बात जानते हुए भी लोग फास्ट फूड के दीवाने हो रहे हैं। दरअसल, शहरीकरण के चलते रिश्ते नाते, खान-पान, रहन-सहन सब कुछ बदल गया है और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि नियोजित तरीके से शहरीकरण होता है, शहरों का विस्तार होता है, आबादी के घनत्व को ध्यान में रखा जाता है, जहां नई कॉलोनी विकसित की जाती है वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और प्राकृतिक स्त्रोतों को को संरक्षित किया जाता है तो समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। पर ऐसा हो नहीं रहा है। प्रबुद्ध नागरिक इसको लेकर चिंतित रहते हैं और अनियोजित शहरी विकास को नियोजित विकास का रूप दिलाने के लिए न्यायालयों तक का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके बावजूद अनियोजित शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण के साइड इफेक्ट हमारे सामने आने लगे हैं। ऐसे में नीति निर्माताओं को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। शहरों के विस्तार की बजाय गांवों- कस्बों के विकास पर ध्यान देना होगा। वहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करके ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर पलायन से रोका जा सकता है। इससे शहरों पर दबाव भी कम होगा और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में भी कुछ हद तक कमी आएगी।

नये खाद्य निर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पोषण से संबंधित जानकारी बड़े अक्षरों में दी जानी चाहिए. इससे ग्राहकों को खरीद के समय उचित निर्णय करने में मदद मिलेगी. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. खाने-पीने की चीजों में चीनी, नमक, वसा जैसे तत्वों की अधिकता कई बीमारियों की वजह बन रही है. किसी वस्तु में क्या सामग्री इस्तेमाल की गयी है और उससे कितना पोषण मिल रहा है, ऐसी सूचनाओं को आम तौर पर इतने महीन अक्षरों में छापा जाता है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता. हमारे देश में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. लोग चीनी, नमक, वसा आदि के उपभोग को लेकर सचेत भी हो रहे हैं. अधिक कैलोरी लेना मोटापे और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर खाद्य पदार्थ के बारे में ठीक से सूचना मुहैया करायी जायेगी, तो लोग संभावित नुकसान से बच सकेंगे. कुछ समय से सरकार ने पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाये हैं. नये खाद्य निर्देशों को उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए. हाल में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं बनाने वाली कंपनियों को चेतावनी दी थी कि वे भ्रामक विज्ञापन न दें और दवाओं के प्रभाव के संबंध में निराधार दावे न करें. कई दवा उत्पादों पर 'सौ फीसदी सुरक्षित', 'स्थायी उपचार', 'पूर्णत: शाकाहारी उत्पाद' या 'मंत्रालय द्वारा स्वीकृत' जैसी भ्रामक बातें लिखी होती हैं. बहुत से उत्पादों पर तो उनमें प्रयुक्त वस्तुओं का पूरा विवरण भी नहीं दिया जाता. बड़े शहरों में कई ऐसे रेस्तरां हैं, जहां खाद्य विभाग के निर्देशों की अनदेखी के मामले सामने आये हैं. इस बारे में भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अप्रैल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने एप और वेबसाइट से 'हेल्थ ड्रिंक्स' श्रेणी से सभी पेय उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया था. उसी माह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे खाद्य उत्पादों का समुचित श्रेणीकरण सुनिश्चित करें. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में 'स्वास्थ्य पेय' जैसी किसी श्रेणी को परिभाषित नहीं किया गया है. चिकित्सक सलाह देते रहते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदने या खाने से पहले उसमें इस्तेमाल चीजों, कैलोरी आदि के बारे में पड़ताल करनी चाहिए. नये निर्देशों से ऐसा करने में सहूलियत होगी.

जल संकट के खतरे

गर्मी के मौसम की शुरुआत से ही देश के अनेक हिस्सों में पानी की कमी की समस्या है. दिल्ली और बेंगलुरु में तो यह समस्या संकट का रूप धारण कर चुकी है. भारत में विश्व की 18 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, लेकिन स्वच्छ जल का केवल चार प्रतिशत ही हमारे हिस्से है. साल-दर-साल पानी की मांग बढ़ती जा रही है. तापमान के लगातार बढ़ते जाने से भी उपलब्धता पर असर पड़ रहा है. इस वर्ष तो उत्तर, पश्चिम एवं पूर्वी भारत में हीटवेव की अवधि अधिक रही है. अगर हम नदियों, जलाशयों, भूजल और वर्षा जल का समुचित संरक्षण करते रहते तथा पानी का नियंत्रित उपभोग करते, तो वर्तमान चुनौती पैदा ही नहीं हो पाती. जल स्त्रोतों के अत्यधिक दोहन से दूषित जल की मात्रा भी बढ़ रही है. दूषित पेयजल के मामले में भारत 180 देशों की सूची में 141वें स्थान पर हैं. हमें जो पानी उपलब्ध है, उसका लगभग 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है. देश के सैकड़ों जिलों में भूजल में आर्सेनिक तत्वों की मौजूदगी है. जल संकट की स्थिति में सुधार नहीं आया, तो इसके विभिन्न प्रभावों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हो सकता है. प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस जोखिम को रेखांकित करते हुए यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है तथा उसका तेज विस्तार भी हो रहा है, जिससे पानी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है. मांग बढ़ने का एक कारक जनसंख्या वृद्धि भी है. वैसे तो पानी की खपत सभी औद्योगिक क्षेत्रों में है, पर पानी की कमी कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादक संयंत्रों तथा इस्पात उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है. हमें विकास के लिए इन उद्योगों की बड़ी जरूरत है. जल शक्ति मंत्रालय के आकलन के अनुसार, 2031 तक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 1,367 घन मीटर हो जायेगी, जो 2021 में 1,486 घन मीटर थी. यदि यह उपलब्धता 1,700 घन मीटर से नीचे आ जाती है, तो वह दबाव की स्थिति होती है और जब यह एक हजार घन मीटर के स्तर पर आ जाती है, तो जल अभाव माना जाता है. देश के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है. औद्योगिक गतिविधियों के लिए कम उपलब्धता के जोखिम के साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने और पानी का इंतजाम करने में समय की बर्बादी से भी आर्थिक नुकसान होता है. भारत सरकार ने जल संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है. विभिन्न राज्य सरकारें भी इस दिशा में अग्रसर हैं. हमें जल प्रबंधन के लिए अधिक निवेश जुटाने की आवश्यकता है. साथ ही, जल संरक्षण पर ठोस ध्यान दिया जाना चाहिए.

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में और सुदृढ़ होगी सहकारिता

याद करें आयरलैंड की या राजधानी डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज में 12 अक्टूबर 1999 को अपने भाषण में हेनरी किसंगर ने साफ कहा था कि भूमंडलीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका के ही आधिपत्य का पर्याय है। जिस रास्ते पर अमेरिका चल रहा है, उसे ही दुनिया के अन्य देशों को अपनाना चाहिए। अमेरिका का अनुगमन ही उन्हें अपनी मुक्ति की ओर ले जायेगा। अमेरिका के अनुगमन का मतलब था, च्वाशिंगटन आम रायज को मान लेना, जिसका प्रतिपादन अमेरिका सरकार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और इंटर- अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने किया था और जॉन विलियम्स ने 1990 में इसे प्रस्तुत किया। इसके तहत सरकार को गरीबी निवारण और लोक कल्याण के कार्यक्रमों को पूरी तरह खत्म करके, सरकार का प्रभुत्व और आकार घटाना था। उस समय सभी सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और निजीकरण होना था, तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। यह सिलसिला 2004 के बाद संयुक्त गतिशील गठबंधन यूपीए सरकार जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे में और तेज हुआ। कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर ट्रस्ट) को खत्म कर गांव गांव तक किसान सहकारी समितियों के जरिए नये मायनों को पुर्नजीवित करने का काम वर्ष 2014 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद शुरू हुआ। किसान सहकारी समितियां जन हित की सभी योजनाओं को गांव-गांव, घर घर तक ले जाने का माध्यम बनीं। सरकार ने सहकार की शक्तियों को कुछ इस तरह संगठित किया कि बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। 2014 से 2024 तक मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सोशल पॉलिटिकल उपलब्धि रही। मोदी सरकार की पूरी कोशिश रही कि राजकीय तंत्र के भीतर चौकसी और नियंत्रण की व्यवस्था तो बनें ही साथ ही विस्तृत राजस्व के तहत व्यापक जनता के हितों को भी समाहित किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त अनाज योजना, घर घर शौचालय, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, जन औषधि योजना, नेशनल कोऑपरेटिव डाटा बेस, ड्रोन दीदी योजना, पैक्स का कंप्यूटरीकरण और कॉमन सर्विस सेंटर आदि ऐसी योजनाएं है जिससे सहकार ने नई उड़ान भरी। दरअसल 2014 से पहले की सरकार की नीतिगत अपंगता से तकरीबन समाप्त होने के कागार पर खड़े सहकारिता आंदोलन में नई प्राण उर्जा का संचार हुआ है। समाज और विशेषकर कृषक समुदाय के बीच उनके कलेक्टिव सेल्फ, सामुदायिक स्वयं और आत्मनिर्भरता का उदय हुआ है। इन ग्रामीण सहकारी इकाइयों ने ही लोकोन्मुखी योजनाओं का लाभ कतार के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी तक पहुंचाने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और लोकप्रिय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की नीतियों के कारण ही आज सहकारिता आंदोलन देश के नव निर्माण और विकास के केंद्र में है, इसके साथ ही देश के विकास का सहकारिता आंदोलन से गहरा नाता जुड़ गया है। सहकारिता से समृद्धि नारे ने सहकारिता आंदोलन को अकल्पनीय ऊंचाइयां दी हैं। सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का मनना है कि सहकारिता ही आत्म निर्भर भारत और 70 प्रतिशत गरीब लोगों की संपन्नता का माध्यम बन सकता है। यह बात पुख्ता अवधारण बनी कि भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनना बहुत जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है तो सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना ही होगा। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया। भारतीय संसद में वित्तीय वर्ष 2021 22 का बजट पेश करते समय सहकारिता मंत्रालय के गठन पर चर्चा की गई। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिली है, इसके साथ ही सहकार से समृद्धि की परिकल्पना भी साकार होती दिख रही है। इसी क्रम में इफको जैसी विश्व की अग्रणी कृषि सहकार संस्था ने नैनो फर्टिलाइजर जैसे उत्पाद लांच कर सहकारिता का परचम विश्वभर में फहरा दिया है। फिलहाल भारत विश्व अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है तो इसका श्रेय सहकारिता से समृद्धि की अवधारणा और इसे जमीन देने के लिए सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को दिया जाता है। मोदी सरकार 3.0 में भी श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता न केवल सुदृढ़ होगी बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेगी।

-जितेंद्र तिवारी
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

करवाड़ा सहकारी समिति अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल को नोटिस जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर। खंड की जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक के अंतर्गत संचालित करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल सदस्यों को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30(1) एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2003 के नियम 36 के तहत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर ने प्रबंध निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक जालोर के जरिए नोटिस दिया है। जिसमें बताया गया हैं कि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार कार्यालय को 15 अप्रैल 2024 को अवगत कराया कि इकाई की करवाडा ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा समिति के पूर्व व्यवस्थापक देवीसिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका पर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना नहीं की जा रही है। वही, इस संबंध में प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर एवं इकाई अधिकारी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश की पालना करने के लिए बार-बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हो पाई है। समिति की प्रबंध कार्यकारिणी राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने से अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असफल रही हैं जिससे राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30 (1) के तहत प्रबंधकारिणी भंग कर प्रशासक नियुक्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। अब अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां खंड जोधपुर ने समिति के अध्यक्ष एवं समस्त संचालक मंडल सदस्यो सहित पूर्व व्यवस्थापक को इस प्रकरण की सुनवाई के लिए 9 जुलाई को प्रात: 11.30 बजे अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं । अन्यथा स्थिती में एक तरफा कार्यवाही करने की सूचना भी दी है। गौरतलब हैं कि इस प्रकरण में इससे पूर्व भी 11 जून 2024 को नोटिस जारी किया गया था, अब दूसरी बार यह नोटिस जारी हुआ है।

विधानसभा में भी उठ चुका हैं मामला

करवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में गत साल ऋण वितरण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी कृषक सदस्यों का निर्धारित समय में प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनी को नहीं किए जाने के कारण रानीवाड़ा के तत्कालीन विधायक नारायणसिंह देवल ने विधानसभा के सत्र में तारांकित प्रश्न कर सहकारिता विभाग से जवाब मांगा था, जिसके पश्चात तत्कालीन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा के 15वें सत्र की कार्यवाही के दौरान 2 मार्च 2023 को सदन पटल पर कहा था कि कृषक सदस्यों को फसल बीमा से वंचित रखने के सम्बंध में प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर द्वारा कराई गई जांच में समिति के सहायक व्यवस्थापक देवीसिंह एवं समिति अध्यक्ष मिश्रा राम परमार को जिम्मेदार माना गया, जिसके उपरांत, समिति का चार्ज गांग सहकारी समिति के सहायक व्यवस्थापक हरचन कुमार को दे दिया गया, एवं देवीसिंह के विरुद्ध व्यवस्थापकीय सेवा नियम के तहत कार्यवाही करने के लिए सीसीबी के अधिशासी अधिकारी ने एक पत्र लिखा, जिस पत्र पर समिति की निर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी ने एक तरफा अनुशंसा कर देवीसिंह की नियम विरुद्ध सेवा समाप्त करने पर देवीसिंह ने इस मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन अधिवक्ता हरीश पुरोहित के जरिए दायर की, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2023 को सुनवाई करते हुए समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर स्थगन आदेश दे दिया था ।

सीसीबी की कई शाखाओं में बड़ा फेरबदल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । केन्द्रीय सहकारी बैंक की संचालित शाखाओं में बड़ा फेरबदल करते हुए बैंकिंग सहायक, प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक को इधर से उधर स्थानांतरित किया गया है। सीसीबी की संचालित विभिन्न शाखाओं में प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करने के संबंध में प्रबंध निदेशक पूनाराम चोयल ने मंगलवार को एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए प्रधान कार्यालय में प्रबंधक (स्थापना) की जिम्मेदारी काय.ंशाखा प्रबंधक नवीन पथारिया को सौंपी है। इसी तरह, शाखा आबूपर्वत में गौरव शर्मा को काय.ंशाखा प्रबंधक एवं शाखा आबरोड़ सांय में ध्रुवसिंह को काय.ंशाखा प्रबंधक, मोहनलाल माली को काय.ंशाखा प्रबंधक शाखा सरुपगंज लगाया गया है। काय.ंप्रबंधक उमा शंकर दवे को प्रधान कार्यालय से शाखा सिरोही में काय.ंशाखा प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वही, प्रधान कार्यालय में परिचालन एवं स्टोर अनुभाग के बैकिंग सहायक की जिम्मेदारी महेन्द्र कुमार रेबारी और स्थापना अनुभाग के बैकिंग सहायक की जिम्मेदारी भरत सोलंकी तथा परिचालन अनुभाग के बैकिंग सहायक की जिम्मेदारी श्रीमति आकांशा मित्तल को सौंपी गई हैं । राकेश नागर को कालन्द्री शाखा का काय.ंशाखा प्रबंधक, रोहित सोनी को शाखा शिवगंज मुख्य का बैकिंग सहायक बनाया गया है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में प्रबंधक (परिचालन) के पद पर राजेन्द्रसिंह सोलंकी, आई.टी अनुभाग के पद पर मयंक शर्मा, ए एण्ड एस एंड डेवलपमेंट के पद पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री दीपीका सोनी को लगाया गया है।

गांवों को स्वच्छ और सुजल बनाने के अभियान को गति देने में जुटी केंद्र सरकार, ग्राम पंचायतों को दिए गए ये निर्देश

2025 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य निर्धारित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। देश के सभी गांवों को स्वच्छ व सुजल बनाने के अपने अभियान को केंद्र सरकार और गति देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार यह जमीनी वास्तविकता पूरी तरह से पुष्ट कर लेना चाहती है कि अब तक कितने गांव ओडीएफ प्लस श्रेणी में आ चुके हैं और कितने गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने लगा है। तय मानकों के आधार पर खुद ग्राम पंचायतें ही इसकी घोषणा और प्रमाणीकरण करें, इसके लिए सभी राज्यों को एक सप्ताह तक विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालते ही स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। पहले तो गांवों को खुले में शौचमुक्त करते हुए उन्हें ओडीएफ बनाने का अभियान शुरू किया गया। फिर स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के दूसरे चरण में 2025 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसे भी तीन श्रेणियों में बांट दिया गया। ओडीएफ प्लस आकांक्षी गांव वह हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। ओडीएफ प्लस उभरते गांव वह हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था और ओडीएफ प्लस माडल श्रेणी में ऐसे गांव रखे गए हैं, जहां दोनों तरह के अपशिष्ट प्रबंधन के साथ वहां न्यूनतम अपशिष्ट हो, सार्वजनिक स्थान पर खुले में कूड़ा डंप न होता हो और अन्य सुविधाएं भी हों। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी गांवों में हर घर नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। केंद्र सरकार के पास अभी तक 14.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचने का आंकड़ा है और 5.45 लाख गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। अब पंचायतीराज मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 22 से 26 जुलाई और दो अक्टूबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। इनके माध्यम से ओडीएफ प्लस की तीनों श्रेणियों और हर घल नल से जल पहुंचने की स्थिति का प्रमाणीकरण कर घोषणा की जाए।

पोर्टल पर अपलोड होगा आंकड़ा

इनके आंकड़ों को जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस अभियान में सभी संबंधित विभागों को प्रतिभाग करने के लिए कहा है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, आंकड़े सामने आने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभियान भी शुरू किए जाएंगे।

400 करोड़ रुपये व्यय कर 21 लाख पशुओं का किया जाएगा बीमा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए बजट घोषणा 2024-25 में दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए च्मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनाज् शुरू की गई है। योजना की शुरूआत में 400 करोड़ रुपये का व्यय कर 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। पशुपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत शुरूआत में 5-5 लाख दुधारू गाय-भैंस, 5-5 लाख भेड़-बकरी तथा 1 लाख ऊँटों का बीमा किया जायेगा। इससे पहले विधायक श्री प्रताप लाल भील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पशुपालन मंत्री ने कहा कि पशुपालकों को उनके पशुओं की जहरीली घास अथवा पदार्थ खा जाने से आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है

ग्राम पंचायतों को केवल आबादी भूमि के पट्टे जारी करने का अधिकार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। पंचायतीराज मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि ग्राम पंचायतों को स्वयं के स्वामित्व की आबादी भूमि के ही पट्टे जारी किये जाने का अधिकार है। पंचायतीराज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान अपने खेत में 500 वर्ग गज तक का मकान निर्मित कर सकता है, लेकिन कृषि भूमि होने के कारण इसका पट्टा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा केवल आबादी भूमि के ही पट्टे दिये जा सकते हैं। ग्राम पंचायत को कृषि भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित करने का अधिकार नहीं है। इससे पहले विधायक श्री भागचन्द टांकडा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90(ए) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग से संबंधित है। जबकि राज्य में ग्राम पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत स्वयं के स्वामित्व की आबादी भूमि के ही पट्टे जारी किये जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि धारा-90(ए) के तहत कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरित किया जाता है तथा उक्त रूपान्तरित आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा दी जाती है, तो ऐसी भूमि का पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। इसलिए शहरी निकायों की भांति ऐसा प्रावधान किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को बकाया कृषि आदान-अनुदान का शीघ्र किया जाएगा भुगतान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री श्री ओटा राम देवासी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का बकाया मुआवजा शीघ्र ही किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर काश्तकारों के नाम सही अंकित नहीं होने के कारण 50 हजार 834 काश्तकारों का कृषि आदान- अनुदान भुगतान शेष है। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 से 2023 तक अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 50 हजार 834 काश्तकारों का 31 करोड़ 37 लाख रुपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान शेष है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि मुआवजे से वंचित रहे किसानों को शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री प्रताप सिंह सिंघवी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में गत 03 वर्षों (वर्ष 2021 से 2023) तक अतिवृष्टि (बाढ़) एवं ओलावृष्टि से गिरदावरी/सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 80539 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल खराबा हुआ है। उन्होंने इसका वर्षवार, ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छीपाबडौद व छबड़ा में उक्त अवधि के दौरान बाढ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 508 34 काश्तकारों का 31.37 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान शेष है। उन्होंने इसका ग्राम पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

प्रदेश के 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा का लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के विरुद्ध करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 23 हजार 172 सहरिया जनजाति के लाभार्थियों एवं 1 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षाधारी विशेष योग्यजन को मिलाकर लगभग 2 लाख लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त जनाधार कार्ड से केवाईसी के बाद 1.5 लाख नाम और जोड़े जाएंगे जिनमें विशेषयोग्यजन भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस समय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन लम्बित हैं, जिनमें से अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लगभग 7 लाख को शीघ्र ही योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से दिसम्बर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क खाधान्न उपलब्ध कराया जा रहा है / कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन सरकार के गठन के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। श्री गोदारा ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

जल ही जीवन हैं

सहकारी समितियां नवाचार अपनाऐं सहकारिता में है विकास की अकूत संभावनाएं -सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नवाचारों को अपनाना चाहिये ताकि ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि नवाचार का अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार करें जिससे लोगों में सहकारिता को अपनाने का भाव बढ़े। श्री दक सोमवार को सहकार भवन में एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी की श्रेष्ठ कार्य करने वाली सोसायटियों को सम्मानित करने की पहल से प्रदेश स्तर पर अधिक से अधिक कार्य करने के लिये ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर 54 नये नवाचार हुए है। सहकारिता में विकास की अकूत संभावनाएं हैं। आवश्यकता यह है कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को नये आयाम दिये जायें। उन्होंने कहा कि सहकारिता के बैनर के तहत नवाचारों के माध्यम से हम छोटे से छोटे कार्य से लेकर बडे से बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज सहकारी समितियां सुपर स्टोर के संचालन के साथ-साथ पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी आदि का संचालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सहकारी समितियां अपने जिले की अन्य सहकारी समितियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करे एवं उनका सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सहकारिता में सकारात्मक विचार विमर्श के साथ नई नई योजनाओं को बनाकर क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके लिये सहकारिता विभाग के अधिकारी व सहकारजनों को मिलकर काम करना होगा। अजमेर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री मदन लाल चौधरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सहकारी संस्थायें सेवाभाव के साथ-साथ अपने आप को व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित करें। बदलते बाजार प्रतिस्पर्धा के माहौल में अधिक से अधिक नवाचार किये जाये। उन्होंने पुरस्कृत समितियों के पदाधिकारियों को कहा कि वे और भी अच्छा कार्य कर सहकारिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाएं एवं प्रदेश एवं देश के विकास में अपना योगदान दे। एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुनील छापोला ने कहा कि एनसीडीसी सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। निगम द्वारा पूरे देशभर में सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली समितियों को यह पुरस्कार दिये जाते है राजस्थान की भी कई सहकारी समितियों एवं संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हुई है।

8 सहकारी समितियां उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 से सम्मानित

सहकारिता मंत्री ने एनसीडीसी के द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में चार श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार दिये गये। सर्वश्रेष्ठ पै स श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीकर को 25 हजार रूपये एवं स्मृति चिन्ह् तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अनूपगढ़ को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 हजार रूपये एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए बांसवाडा क्रय विक्रय सहकारी समिति, बांसवाडा व क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये कोटपूतली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कोटपूतली तथा सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति की श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए आपणी सहकारी सेवा समिति लि., माधोराजपुरा, क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये महिला सहकारी समिति में केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर, को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिये सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये चयनित सोसायटी को एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 25 हजार रूपये का चैक तथा श्रेष्ठता पुरस्कार के लिये एक ट्रॉफी, स्मृति चिह्न तथा 20 हजार रूपये का चैक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार, श्रीमती अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी, श्री विजय शर्मा सहित पुरस्कृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

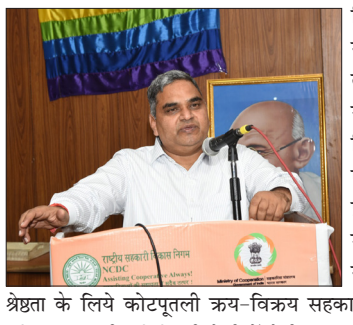

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अत: मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें➤ मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर, सोमवार, 15 जुलाई 2024

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सुझावों व मागों को त्वरित करें निस्तारण-जिला कलक्टर डॉ श्री इन्द्रजीत यादव

केंद्रीय सहकारी बैंक की 71 वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैंक की 71 वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कॉफ्रेस हॉल, कलेक्ट्री कार्यालय परिसर, बांसवाडा मे आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर एवं बैंक प्रशासक डॉ. इन्द्रजीत यादव द्वारा की गई। विशेष आमंत्रित सदस्यो मे दिलीप सिंह, उपनिदेशक कृषि विभाग बांसवाडा, विश्राम मीणा, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड बांसवाडा एवं नीरज पाटीदार, कृषि विभाग तथा बांसवाडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष, वजेंग पाटीदार भी मंच पर उपस्थित रहे। बैठक मे बैंक से सम्बद्ध समितियों के 221 अध्यक्ष उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैंक प्रबन्ध निदेशक परेश पण्ड्या द्वारा एजेण्डावार साधारण सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। गत आम सभा की कार्यवाही की पुष्टि वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित संतुलन चित्र एवं लाभ हानि खातो का अनुमोदन,

बैंक को 3.91 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ

बैंक प्रबन्ध निदेशक श्री परेश पण्ड्या द्वारा जिला कलक्टर एवं प्रशासक महोदय एवं अन्य अतिथियो का स्वागत किया गया। सर्व प्रथम जिला कलक्टर श्री डॉ. इन्द्रजीत यादव द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वितीय वर्ष 2023-24 में बैंक द्वारा वहुमुखी प्रगति दर्ज की गई। बैंक की हिस्सा राशि 33.49 करोड, कोष 74.38 करोड़, अमानते 396.63 करोड़ एवं बकाया ऋण 387.93 करोड़ रहे। बैंक को राशि रू.3.91 करोड़ रू का शुद्ध लाभ हुआ। बैंक का ऑडिट वर्गीकरण "अ" श्रेणी में दर्ज किया गया। बैंक द्वारा समस्त नवीन बैंकिंग सुविधाऐं अपने ग्राहको को दी जा रही है। बैंक द्वारा ऑनलाईन माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। जिसमें कृषकों को आधार सत्यापन के पश्चात ऋण प्राप्त होता है। वर्ष 2023-24 में कुल 61158 कृषको को 336.00 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया गया।

ऑडिट आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन की स्वीकृति, बजट की पुष्टि, साख सीमा स्वीकृति, लाभांश वितरण एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर एजेण्डावार चर्चाकर सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त बैंक की ऑडिट हेतु सांविधिक अंकेक्षक नियुक्त करने बाबत बैंक प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया। साधारण सभा की कार्यवाही के अनुमोदन के पश्चात सदस्यों द्वारा अपने सुझाव-मांगे रखी गई। रमेश लबाना लेम्पस् झडस, केसरीमल लेम्पस् काली घाटी, रविन्द्र पारगी, लेम्पस् वरेठ, मणीलाल पटेल केवीवीएस गंढी, जवाहर कलासुआ, लेम्पस् भगोरा, योगेश भट्ट, लेम्पस् खेडा, वर्धमान डिण्डोर, लेम्पस् बडवास छोटी, मणीलाल गुर्जर, लेम्पस् निचला घण्टाला, गजेन्द्र पाटीदार, लेम्पस् मादलदा, भरत पाटीदार, लेम्पस् रैयाना, आनन्दीलाल सुथार, लेम्पस् देवलिया, दिलीप पटेल, लेम्पस् सज्जनगढ, भूपेन्द्र जोशी, लेम्पस् भीमपुर, दिलीप जी, लेम्पस् सातसेरा खुर्द, बहादुर सिंह लेम्पस् सुन्दनी, लालसिंह राव, लेम्पस् सागवाडिया, कालुराम लेम्पस् चौरडी, अमरजी पाटीदार, लेम्पस् पाराहेडा, मानजी, लेम्पस निचलीमोरडी, रणछोड पाटीदार, लेम्पस् करजी, कैलाश सेवक लेम्पस् तलवाडा, योगेश द्विवेदी, तलवाडा गृह निर्माण सहकारी समिति, तलवाडा आदि ने अपने विचार रखें, जिसमें खाद एवं बीज की समस्या पीडीएस का कार्य लेम्पस को देना, खरीफ फसली ऋण वितरण हेतु निर्धारित दिनांक मे बडौत्तरी, फसली बीमें का कृषको को लाभ देना, कृषको को ऋण वितरण करना आदि प्रमुख रहे। इस अवसर पर श्री नीरज पाटीदार, कृषि विभाग द्वारा फसली बीमे के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। श्री विश्राम मीणा, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड बांसवाडा द्वारा नाबार्ड की विभिन्न योजनाओ के सम्बन्ध मे जानकारी दी गई। बैठक में बैंक प्रशासक डॉ. इन्द्रजीत यादव द्वारा वक्ताओं के सुझाव एवं समस्याओं को सुना और आवश्यक निर्देश प्रदान किये। महोदय द्वारा समिति अध्यक्षो द्वारा दिये गये समस्त सुझावो-मांगो पर जिला स्तर से तत्काल कार्यवाही करने एवं राज्य स्तर पर अवगत कराने बाबत् निर्देशित किया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

31 जुलाई तक करवा सकेंगे कृषक, खरीफ फसलों का बीमा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके तहत फसलवार बीमा की प्रीमियम राशि भी घोषित कर दी गई है। कृषि आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए बीमा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोंठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास और मूंगफली है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान, खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गयी फसलों की सूचना 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा सम्बन्धित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। जो ऋणी कृषक, फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे 24 जुलाई तक बैंक को लिखित में सूचना देकर इस योजना से बाहर हो सकते हैं। कृषि आयुक्त ने कहा कि फसल बुआई से लेकर कटाई तक सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से लगी आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात सहित नुकसान जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसका पटवार मण्डल में 4 व तहसील क्षेत्र में न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोगों से ज्ञात उत्पादन को गारण्टी उपज में से नुकसान का आंकलन कर बीमित राशि अनुसार फसल बीमा क्लेम निर्धारित किया जाता है। फसल कटाई के उपरान्त 14 दिन तक सूखने के लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्र वात, चक्र वाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा क्लेम दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि बीमित राशि का खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम, कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

राज्य के सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक सहित 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लंबे समय से 1000 से ज्यादा रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु करवाने की मांग ऑल राजस्थान कॉ-आपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन एवं ऑल राजस्थान कॉ-आपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने उठाई है। इसके लिए, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, सहकारिता विभाग शासन सचिव शुचि त्यागी (आईएएस), रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अर्चनासिंह (आईएएस) को यूनियन एवं एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन दिया गया हैं । साथ ही, भाजपा सरकार की 100 दिवस की कार्य योजना एवं बजट लेखानुदान में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया शुरु नही किये जाने पर यूनियन ने विरोध जताया है।

असुरक्षित माहौल में सहकारी बैंक कार्मिक कर रहे कार्य

सहकार नेता ने बताया कि पिछले 3 वर्षो से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में तथा पिछले 17 वर्षो से राज्य भूमि विकास बैंक एवं 11 वर्षो से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको में कर्मचारियों व अधिकारियों की कोई भर्ती नही होने तथा सेवानिवृति जारी रहने से कार्मिकों की भारी कमी के चलते बैंकिंग व्यवसाय, ग्राहक सेवा, सहकारी साख सुविधा ऋण वितरण एवं वसूली बाधित एवं नकारात्मक रुप सें पूरी तरह प्रभावित हो रही है, कार्मिकों के अभाव में तनावपूर्ण, असुरक्षित माहौल में सहकारी बैंक कार्मिक कार्य कर रहे है।

नए-नए कारणों से भर्ती प्रक्रिया को किया जा रहा बाधित

सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया के लम्बित चलने पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि कभी सहकारी बैंको से रिक्त पदों की बार-बार सूचना के आधार पर, कभी रोस्टर को लेकर, कभी एक्स-सर्विस मेन के आरक्षण प्रावधानो को लेकर, कभी आयु को लेकर, तो अब परीक्षा शुल्क को लेकर इस प्रकार किसी न किसी विषय को आधार बनाकर सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन के उपरांत सतत् पिछले लम्बे समय से सहकारी बैंकों में भर्ती की प्रक्रिया को लम्बित एवं बाधित किया जा रहा है।

सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ की 14 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। सरपंच संघ की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2022-23 व 2023-24 की राज्य वित्त आयोग मद की बकाया अनुदान राशि लगभग 3 हजार 4 सौ करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। इसी प्रकार मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मेड व कारीगरों के मानदेय में वृद्धि की, मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है उसे ऑफलाइन की जाय।जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण हेतु योजनाओं के संचालन व संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देने की मांग की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राशि की मांग से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने एवं अन्य प्रस्तावों का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया। राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने किसानों को जमकर तोहफे बांटे। दिया कुमारी ने घोषणा की कि इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है। अब बजट 50 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए का रखा गया। बजट में किसानों के लिए खुशी का पिटारा खोलते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा प्रदेश में 500 नए एफपीओ खोलने व 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाने की घोषणा की।

राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का एलान किया है। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जिसमें 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। साथ ही मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा बजट में किसानों पर तोहफे की बरसात करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनाने को मंजूरी दी। साथ ही गोवर्धन परियोजना की शुरुआत का एलान किया।

कृषकों को फार्म पौण्ड के लिए अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गिरते भू-जल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "पर ड्रोप मोर क्रोप" और अदर इन्टरवेशन योजना के अन्तर्गत फार्म पौण्ड का निर्माण करवाया जा रहा है। आयुक्त कृषि श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमान्त कृषकों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर एवं इकाई लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग

फार्म पौण्ड पर और अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा इकाई लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान देय है। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (फार्म पौण्ड) पर ही अनुदान देय है। उन्होंने कहा कि जिस कृषक के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो, अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो एवं जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा।

उल्लेखनीय है कि फार्म पौण्ड में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन-लाईन है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से अथवा ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 माह से पुरानी न हो, तारबंदी करवाये जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा

केन्द्र को पत्र लिख एमएसपी पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रयास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरसों की तरह ही कपास और बाजरे की खरीद के लिए भी केन्द्र सरकार से सहमति के पूरे प्रयास किये जाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की सीमा 25 क्विंटल तय की गई है। पिछली बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भी सीमा को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इससे पहले विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर दलहन-तिलहन की खरीद की जाती है। उन्होंने विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गई दलहन-तिलहन खरीद का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य खरीद की जाती है। रबी सीजन वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त् 125 रू. प्रति क्विन्टल बोनस भी दिया गया है। उन्होंने खाद्य विभाग द्वारा गत दो वर्षों में की गई गेहूं खरीद का विवरण सदन के पटल पर रखा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद हेतु प्रत्येक सीजन में संबंधित जिला कलक्टर की अनुशंसा के अनुसार क्रय विक्रय/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर क्रय के केन्द्र स्थापित किये जाते है। यह क्रय केन्द्र संबंधित तहसील से मैप किये जाते है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों/चना की खरीद हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु गत वर्षों के अनुभव व जिला प्रशासन एवं क्रय एजेन्सियों से प्राप्त मांग के आधार पर क्रय केन्द्र स्थापित किये जाते है। उन्होंने वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद हेतु स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रखी।

नए जिले किस आधार पर बनाए, मांगी रिपोर्ट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर . पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से गठित 17 जिले और तीन संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। समिति के संयोजक और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 15 दिन के भीतर नए जिलों के गठन को लेकर की गई सिफारिशों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बैरवा ने कहा कि कहीं किसी राजनीतिक दबाव में तो नए जिलों की सिफारिश नहीं की गई थी। वास्तविक तौर पर कहां जिला बनाने की जरूरत थी और उसके लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए था। जनता को इससे क्या फायदा होने वाला था। इन तमाम चीजों को ध्यान में सब समेटी अपना काम कर रही है। बैठक में मंत्री हेमंत मीणा और कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे।

हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में एक सहकारी बैंक और एक दूध उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है। अगले पांच वर्षों में ऐसी दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस या पैक्स स्थापित की जाएंगी, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है। वह 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नैनो-यूरिया और नैनो-डीएपी पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी की घोषणा करने के लिए गुजरात सरकार को धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लक्ष्य रखा गया है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध ठुउत्पादक संघ न हो। देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है। अगले पांच साल में हम इन दो लाख पंचायतों में बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगा। देश में 1,100 नए एफपीओ बनाए गए हैं। एक लाख से अधिक पैक्स ने नए उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी दो हजार करोड़ रुपये के बान्ड जारी करने से अधिक सहकारी संस्थाओं के कल्याण के लिए काम कर सकेगा।

उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों से पैक्स और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए जिला या राज्य सहकारी बैंकों में अपने खाते खोलने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इससे सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा।

दिल्ली में अमूल की पहली एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक शॉप

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं भी 100 प्रतिशत एमएसपी पर चार प्रकार की दालें खरीदेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए सहकार से समृद्धि के मंत्र के पीछे एकमात्र उद्देश्य 30 करोड़ लोगों के जीवन में आत्मविश्वास, खुशी और समृद्धि लाना है, जो आजादी के 75 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार में अमूल की पहली एक्सक्लूसिव आर्गेनिक शाप का ई-उद्घाटन करते हुए शाह ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अमूल के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।

जैविक खेती के लिए की गई है एनसीओएल की स्थापना

शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और जैविक खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड की स्थापना की है। कहा कि आज एनसीओएल द्वारा भारत जैविक आटा भी पेश किया गया है। अमूल ने भी दिल्ली में जैविक उत्पादों की एक दुकान शुरू की है। भारत जैविक और अमूल दोनों विश्वसनीय और 100 प्रतिशत जैविक ब्रांड हैं। जैविक उत्पादों पर भारत ब्रांड की मुहर, दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने के बाद ही लगाई जाती है।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।